पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–12] रुड़की, शनिवार, दिनांक 05 मार्च, 2011 ई0 (फाल्गुन 14, 1932 शक सम्वत्) [संख्या–10

फार्म नं0 4
(नियम 8 देखिये)

1–प्रकाशन	:	रुड़की।
2–प्रकाशन की अवधि	:	साप्ताहिक।
3–मुद्रक का नाम	:	संयुक्त निदेशक, एस0 के0 गुप्ता।
(क्या भारतीय नागरिक हैं)	:	भारतीय।
(यदि विदेशी हों तो मूल देश)	:	—
पता	:	संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड।
4–प्रकाशक का नाम	:	संयुक्त निदेशक, एस0 के0 गुप्ता।
(क्या भारतीय नागरिक हैं)	:	भारतीय।
(यदि विदेशी हों तो मूल देश)	:	—
5–सम्पादक का नाम	:	उत्तराखण्ड शासन।
(क्या भारतीय नागरिक हैं)	:	भारतीय।
(यदि विदेशी हों तो मूल देश)	:	—
पता	:	सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6–उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार–पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझीदार हों।	:	सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

मैं, एस0 के0 गुप्ता, संयुक्त निदेशक एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं।

(प्रकाशक के हस्ताक्षर)
एस0 के0 गुप्ता,
संयुक्त निदेशक,
राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड,
रुड़की।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	79–103	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	45–47	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

शिक्षा अनुभाग–8 (तकनीकी)

अधिसूचना

प्रकीर्ण

11 मई, 2010 ई०

संख्या 607 / XXIV(8) / 10–46 / 05–उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद्, अधिनियम, 2003 की धारा 15 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके तथा इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् में ड्राइवर के पद पर भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् ड्राइवर सेवा नियमावली, 2010

भाग–1

सामान्य

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् ड्राइवर सेवा नियमावली, 2010 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2–सेवा की प्रास्थिति–

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् ड्राइवर सेवा में समूह 'ग' के पद समाविष्ट हैं।

3–इन नियमों का लागू होना–

यह नियमावली उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् के ड्राइवरों पर लागू होगी।

4–अध्यारोही प्रभाव–

यह नियमावली उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2003 के अधीन, राज्यपाल द्वारा बनाये गये किन्हीं अन्य नियमों या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में दी गयी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी।

5–परिभाषायें–

जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् का सचिव अभिप्रेत है;

(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो "भारत का संविधान" के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(ग) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(घ) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(ङ) "परिषद्" से उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है;

(च) "अध्यक्ष" से उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(छ) "सचिव" से उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् का सचिव अभिप्रेत है;

(ज) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के उपबन्धों या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(झ) "सेवा" से उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् ड्राइवर सेवा अभिप्रेत है;

(ञ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में ड्राइवर पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो; और

(ट) "भर्ती का वर्ष" से किसी कैलेण्डर वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग–2

संवर्ग

6–सेवा संवर्ग–

(1) सेवा में कर्मचारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा में कर्मचारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक उपनियम (1) के अधीन पारित आदेशों के द्वारा परिवर्तित न किया जाय, उतनी होगी जितनी इस नियमावली के परिशिष्ट–"क" में दी गयी है :

परन्तु,

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी अथवा अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हे वह उचित समझें।

भाग–3

भर्ती

7–भर्ती का स्रोत–

सेवा में भर्ती निम्नलिखित श्रोतों से की जायेगी :–

(एक) सीधी भर्ती द्वारा–ड्राइवर ग्रेड–4 के पद पर भर्ती सीधी भर्ती द्वारा नियमानुसार, वर्तमान में निर्धारित अर्हताओं के आधार पर की जायेगी।

(दो) (क) पदोन्नति द्वारा–ड्राइवर ग्रेड–3 के पद पर भर्ती, पदोन्नति द्वारा ज्येष्ठता के आधार पर, ड्राइवर ग्रेड–4 के ऐसे पद धारक ड्राइवरों में से की जायेगी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को नौ वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो और इस हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण कर लिया हो।

(ख) ड्राइवर ग्रेड–2 के पद पर भर्ती, पदोन्नति द्वारा, ज्येष्ठता के आधार पर, ड्राइवर ग्रेड–3 के ऐसे पद धारक वाहन चालकों में से की जायेगी, जिन्होंने ग्रेड–3 के पद पर छः वर्ष की सन्तोषजनक सेवा अथवा ड्राइवर ग्रेड–4 की सेवा को जोड़ते हुए, कुल 15 वर्ष की सेवा, भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पूरी कर ली हो और इस हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट, उत्तीर्ण कर लिया हो।

(ग) ड्राइवर ग्रेड–1 के पद पर भर्ती, पदोन्नति द्वारा ज्येष्ठता के आधार पर, ग्रेड–2 के ऐसे पद धारक ड्राइवरों में से की जायेगी, जिन्होंने ग्रेड–2 के पद पर तीन वर्ष की सन्तोषजनक सेवा भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पूरी कर ली हो।

8–आरक्षण–

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–4

अर्हतायें

9–राष्ट्रीयता–

सेवा में सीधी भर्ती के लिये आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्‌भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार (बर्मा), श्रीलंका (सीलोन) या केनिया, युगाण्डा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तंजानिका और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) और (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि, श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी–ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और

उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

10–आयु–

सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं, तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जनवरी को और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं, तो उस वर्ष की 01 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अन्य ऐसी श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समस–समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों के मामले में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

11–तकनीकी और शैक्षिक अर्हताएं–

सेवा में सीधी भर्ती के पद पर नियुक्ति के लिए निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक हैं :–

(1) अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो; और

(2) नियम 16 के अधीन, रिक्ति के सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से तीन वर्ष से अन्यून अवधि का यथास्थिति भारी, हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाईसेंस अभ्यर्थी रखता हो।

12–अधिमानी अर्हताएं–

अन्य बातों के समान होने पर, सीधी भर्ती के मामले में अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, यदि उसने–

(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश अथवा उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो;

(दो) वाहन यांत्रिकी का ज्ञान हो; एवं

(तीन) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो।

13–चरित्र–

सेवा में भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी, किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

14–वैवाहिक प्रास्थिति–

सेवा में भर्ती के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी भी पात्र नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि उनका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

15–शारीरिक स्वस्थता–

सेवा में किसी व्यक्ति को तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व, उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–दो, भाग–तीन के अध्याय–तीन में दिये गये मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे।

भाग–5
भर्ती की प्रक्रिया

16–रिक्तियों का अवधारण–

(1) नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 8 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, तत्समय प्रवृत्त सरकार के नियमों और आदेशों के अनुसार, रिक्तियाँ सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित करेगा और दो व्यापक प्रचार वाले दैनिक समाचार–पत्रों में रिक्तियों को विज्ञापित भी करायेगा।

17–सीधी भर्ती प्रक्रिया–

(1) सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति गठित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी – अध्यक्ष

(दो) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से भिन्न कोई अधिकारी – सदस्य

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो अधिकारी, जिनमे से एक अल्पसंख्यक समुदाय का और दूसरा पिछड़े वर्ग का होगा। यदि ऐसे उपयुक्त अधिकारी उसके विभाग या संगठन में उपलब्ध न हो तो ऐसे अधिकारी, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर, सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे – सदस्य

(चार) सम्बन्धित सम्भाग का सम्भागीय परिवहन अधिकारी या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, जो सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी से निम्न स्तर का न हो – सदस्य

(2) सीधे या सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आवेदन–पत्रों की संवीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी, चयन समिति ऐसे व्यक्तियों को, जो इस नियमावली के अधीन अर्ह हों, लिखित परीक्षा और ड्राइविंग परीक्षा के लिए बुलायेगी।

(3) (एक) चयन परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें 25 अंकों की एक लिखित परीक्षा एवं 75 अंकों की ड्राइविंग परीक्षा होगी। प्रवीणता सूची, लिखित परीक्षा व ड्राइविंग परीक्षा के प्राप्तांकों के योग के आधार पर, तैयार की जायेगी।

(दो) 25 अंकों की लिखित परीक्षा में वाहन चालन व सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। कुल 25 प्रश्न पूछे जायेंगे व प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु ¼ ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(तीन) लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात् अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(चार) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(पांच) लिखित परीक्षा के पश्चात्, लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer Key) उत्तराखण्ड की वेबसाईट www.ua.nic.in पर एवं दैनिक समाचार पत्र में, जिसका व्यापक परिचालन हो, प्रदर्शित/प्रकाशित किया जायेगा।

(छः) उपरोक्त खण्ड (एक) के अधीन लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर दिये जाने के पश्चात्, आरक्षण के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, 75 अंकों की ड्राइविंग परीक्षा आयोजित की जायेगी। ड्राइविंग परीक्षा के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, रिक्तियों की संख्या की छः गुना होगी।

(सात) चयन समिति लिखित परीक्षा, ड्राइविंग परीक्षा एवं अधिमान अंकों को जोड़ने के पश्चात् अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और ड्राइविंग परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो चयन समिति द्वारा, लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करते हैं, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का नाम चयन समिति योग्यता क्रम में ऊपर रखेगी। सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) होगी। चयन समिति, सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

(आठ) नियुक्ति प्राधिकारी, लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों और ड्राइविंग परीक्षा के प्राप्तांकों को, उत्तराखण्ड की वेबसाईट www.ua.nic.in पर एवं दैनिक समाचार पत्र में, जिसका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशन/प्रदर्शन करेगा।

18–पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया–

(1) वाहन चालक के विभिन्न ग्रेड पर पदोन्नति हेतु एक चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:–

(एक) परिषद् का सचिव — अध्यक्ष

(दो) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई राजपत्रित अधिकारी यदि अध्यक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग से कोई अधिकारी नामित किया जायेगा — सदस्य

(तीन) सम्भागीय परिवहन अधिकारी — सदस्य

(2) चयन समिति, संलग्न परिशिष्ट "क" में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार, अनुपयुक्त को छोड़ते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति करेगी।

(3) चयन समिति, चयनित अभ्यर्थी की सूची ज्येष्ठता के आधार पर उनकी चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायं, नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगी।

19–फीस–

चयन के लिए अभ्यर्थियों से ऐसी फीस देने की अपेक्षा की जायेगी, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय। फीस की वापसी के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

20–अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक, सही उत्तरों का प्रदर्शन एवं प्रकाशन–

(1) जब चयन प्रक्रिया पूर्ण हो जाय और चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित कर दी जाय तब, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के योग के आधार पर तैयार चयन सूची, प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी जायेगी और सम्बन्धित कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित की जायेगी।

(2) सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक (लिखित परीक्षा, ड्राइविंग परीक्षा के अंकों को वर्गीकृत करते हुए) अवरोही क्रम (Descending Order) में उत्तराखण्ड की वेबसाइट www.ua.nic.in पर प्रदर्शित किये जायेंगे।

21–अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखों का निरीक्षण–

अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऐसी फीस का, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय, भुगतान करने पर, भाग–5 के अनुसार चयन समिति द्वारा पूर्ण की गयी चयन प्रक्रिया से सम्बन्धित अभिलेखों और उसमें दिये गये अंकों का निरीक्षण करने की अनुमति दी जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसी इच्छा व्यक्त करे, तो उसे दो रुपये प्रति पृष्ठ की दर से फीस का भुगतान करने पर ऐसे अभिलेखों की फोटो प्रतियाँ भी दी जायेंगी।

भाग–6

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

22–नियुक्ति–

(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम 17 एवं 18 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियाँ करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नामों का उल्लेख उस ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा, जैसा चयन में अवधारित किया गया हो।

23–परिवीक्षा–

(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर, किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय :

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर कोई धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप–नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवाएं समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

24–स्थायीकरण–

ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में, उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाय;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय; और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

25–ज्येष्ठता–

(1) ड्राइवर के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

भाग–7

वेतन आदि

26–वेतनमान–

(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्ति का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट "क" के अनुसार होंगे।

27–परिवीक्षा अवधि में वेतन–

मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पूर्व से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी, जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी, जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय, तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

भाग–8

अन्य उपबन्ध

28–पक्ष समर्थन–

सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यार्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

29–अन्य विषयों का विनियमन–

ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति, राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

30–सेवा शर्तों का शिथिलीकरण–

जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में कठिनाई होती है, वहाँ वह, उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

31–व्यावृत्ति–

इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वार समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट –''क''

{देखिए भाग–2, नियम 6 का उप नियम (2) एवं भाग–5, नियम 18 का उप नियम (2)}

क्र0 सं0	पद	पदों की संख्या	वेतनमान रु0 में	पदोन्नति हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट का पाठ्यक्रम
1	2	3	4	5
1.	वाहन चालक ग्रेड–4	01	5200–20200, ग्रेड वेतन 1900	सेवा नियमावली के भाग–3, नियम 7 के खण्ड (एक) की व्यवस्थानुसार सीधी भर्ती द्वारा
2.	वाहन चालक ग्रेड–3	01	5200–20200, ग्रेड वेतन 2400	(एक) अंग्रेजी के अंकों एवं अक्षरों / चिन्हों को पढ़ने में सक्षम हो। (दो) यातायात नियमों का अच्छा ज्ञान हो।

1	2	3	4	5
				(तीन) वाहन के संचालन सम्बन्धी साधारण खराबियों को ढूंढने एवं उन्हें ठीक करने में सक्षम हो। (चार) वाहन के पहिये बदलने एवं पहियों के टायर में हवा के सही दबाब का समझने में सक्षम हो।
3.	वाहन चालक ग्रेड–2	01	5200–20200, ग्रेड वेतन 2800	(एक) अंग्रेजी के अंकों एवं अक्षरों/चिन्हों को पढ़ने में सक्षम हो। (दो) यातायात नियमों का अच्छा ज्ञान हो। (तीन) पेट्रोल एवं डीजल इंजनों की कार्य प्रणाली की अच्छी जानकारी हो एवं उनकी साधारण तकनीकी खराबियों को ढूंढने एवं उन्हें ठीक करने में सक्षम हो। (चार) कारब्यूरेटर, प्लग इत्यादि को साफ करने में सक्षम हो।
4.	वाहन चालक ग्रेड–1	01	9300–34800, ग्रेड वेतन 4200	(एक) अंग्रेजी के अंकों एवं अक्षरों/चिन्हों को पढ़ने में सक्षम हो। (दो) यातायात नियमों का अच्छा ज्ञान हो। (तीन) पेट्रोल एवं डीजल इंजनों की कार्य प्रणाली की अच्छी जानकारी हो एवं उनकी साधारण तकनीकी खराबियों को ढूंढने एवं उन्हें ठीक करने में सक्षम हो। (चार) कारब्यूरेटर, प्लग इत्यादि को साफ करने में सक्षम हो।

आज्ञा से,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 607/XXIV(8)/10-46/05,** dated May 11, 2010 for general information :

NOTIFICATION

Miscellaneous

May 11, 2010

No. 607/XXIV(8)/10-46/05--In exercise of the powers conferred by Clause (b) of Section 15 of the Uttaranchal Board of Technical Education Act, 2003 and in supersession of all rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttaranchal Board of Technical Education Drivers Service :--

THE UTTARAKHAND BOARD OF TECHNICAL EDUCATION DRIVERS SERVICE RULES, 2010

Part I--General

1. Short title and Commencement--

(1) These Rules may be called The Uttarakhand Board of Technical Education Drivers Service Rules, 2010.

(2) They shall come into force at once.

31. Savings--

Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard

Appendix--"A"

{See Sub-Rule (2) of Rule 6 of Part-II & Sub-Rule (2) of Rule 18 of Part-V}

Sl No	Designation	No. of Posts	Pay Scale in Rs	Syllabus for prescribed trade test for promotion
1.	Driver Grade-4	01	5200-20200, Grade Pay 1900	By direct recruitment as specified in clause (i) of 7 of Part-III of Service Rules
2.	Driver Grade-3	01	5200-20200, Grade Pay 2400	(i) Shall be capable to read the digit & letters/ signs in English (ii) Shall have good Knowledge of traffic rules. (iii) Shall be capable to sort-out & repair the general problems in the vehicle (iv) Shall be capable to change the outer wheels and shall be capable to understand the proper pressure of air in the tyres of wheels
3.	Driver Grade-2	01	5200-20200, Grade Pay 2800	(i) Shall be capable to read the digit & letters/ signs in English. (ii) Shall have good Knowledge of traffic rules. (iii) Shall have the proper knowledge of working system of petrol & diesel engines and shall be capable to sort-out & repair of general technical problems in the vehicle (iv) Shall be capable to clean the carburettor.
4.	Driver Grade-1	01	9300-34800, Grade Pay 4200	(i) Shall be capable to read the digit & letters/ signs in English. (ii) Shall have good Knowledge of traffic rules (iii) Shall have the proper knowledge of working system of petrol & diesel engines and shall be capable to sort-out & repair of general technical problems in the vehicle (iv) Shall be capable to clean the carburettor

By Order,

RAKESH SHARMA,
Principal Secretary.

लोक निर्माण अनुभाग–1

कार्यालय ज्ञाप

04 नवम्बर, 2011 ई0

संख्या 2030/III(1)/10–15(अधि0)/05–लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड मे मौलिक रूप से नियुक्त निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ता (सिविल) को नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान रु0 12,000–375–16,500 (पुनरीक्षित वेतनमान पे–बैण्ड–3 रु0 15,600–39,100 ग्रेड–पे 7600) में अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियमित रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. श्री हेमन्त कुमार उप्रेती
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद
3. श्री लोकेश कुमार शर्मा
4. श्री रवि रंजन

2–उपरोक्त अभियन्ताओ को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

3–अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियमित पदोन्नति के फलस्वरूप उपरोक्त अभियन्तागणों को उनके वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही तैनात किया जाता है।

आज्ञा से,

उत्पल कुमार सिंह,
सचिव।

पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग–2

कार्यालय–ज्ञाप

06 दिसम्बर, 2010 ई0

संख्या 695/XII/10/93(26)/04–ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में कार्यरत निम्नलिखित सहायक अभियन्ताओ (सिविल) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतनमान रुपये 15600 39100 ग्रेड वेतन 6600 मे नियमित चयनोपरान्त पदोन्नति किये जाने तथा प्रोन्नत अधिशासी अभियन्ताओं को नियमानुसार उनके नाम के सम्मुख कॉलम-3 में अंकित स्थान पर अधिशासी अभियन्ता के रिक्त पद पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0सं0	नाम अधिकारी	तैनाती का स्थान
1.	श्री दिनेश चन्द्र पन्त	ग्रा0अ0से0 प्रखण्ड, रुद्रप्रयाग
2.	श्री इन्द्र लाल आर्या	ग्रा0अ0से0 प्रखण्ड, चम्पावत
3	श्री रमेश राम आर्या	कार्यालय मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, देहरादून
4	श्री बच्ची सिंह नेगी	ग्रा0अ0से0 प्रखण्ड चकराता समर्पित पी0एम0जी0एस0वाई, बागेश्वर

क्र0स0	नाम अधिकारी	तैनाती का स्थान
5.	श्री कैलाश चन्द्र डिमरी	ग्रा0 अ0से0 प्रखण्ड, कोटद्वार
6	श्री विनोद कुमार	ग्रा0अ0से0 प्रखण्ड काशीपुर समर्पित पी0एम0जी0एस0वाई0, पिथौरागढ़

2–उपरोक्त अधिशासी अभियन्ता एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगे। उपरोक्तानुसार पदोन्नत अभियन्ता अपनी नवीन तैनाती पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे।

आज्ञा से,

विनोद फोनिया,
सचिव।

कार्यालय–ज्ञाप

06 दिसम्बर, 2010 ई0

सख्या 696/XII/10/93(26)/04–ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के अन्तर्गत सृजित कतिपय प्रखण्डो में अधिशासी अभियन्ताओं के रिक्त पद होने के कारण शासकीय कार्य प्रभावित न हो, के दृष्टिकोण से निम्नलिखित सहायक अभियन्ताओं को प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के रूप में निम्नानुसार तैनात किये जाने की स्वीकृति एतद् प्रदान की जाती है :–

क्र0सं0	नाम	तैनाती का स्थान
1.	श्री विश्वम्बर सिंह रावत, सहायक अभियन्ता, कार्यालय मुख्य अभियन्ता, ग्रा0अ0से0, उत्तराखण्ड, देहरादून	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, ग्रा0अ0से0 प्रखण्ड कर्णप्रयाग समर्पित पी0एम0जी0एस0वाई0, कर्णप्रयाग (चमोली)
2	श्री प्रकाश चन्द्र जोशी, सहायक अभियन्ता, ग्रा0अ0से0, प्रखण्ड, नैनीताल	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, प्रखण्ड, भिकियासैंण
3	श्री कृष्ण बल्लभ थपलियाल, सहायक अभियन्ता, ग्रा0अ0से0, रुद्रप्रयाग	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, प्रखण्ड, डीडीहाट

2–उपरोक्त प्रभारी अधिशासी अभियन्ताओ की तैनाती कार्य व्यवधानित न होने के उद्देश्य से की जा रही है। अतः इन्हें इस हेतु कोई अतिरिक्त वेतन भत्ते देय नहीं होंगे।

विनोद फोनिया,
सचिव।

ऊर्जा विभाग

कार्यकारी आदेश

14 फरवरी, 2011 ई0

संख्या 348/I(2)/2011–05/17/2006–राज्यपाल, गैस आधारित संयत्रों से राज्य की विद्युत आपूर्ति में वृद्धि करने, राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की ओर अग्रसर करने, विभिन्न क्षेत्रों जैसे औद्योगिक इकाईयों, घरेलू, कृषि आदि को उनकी माग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराए जाने, राज्य मे निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से ऐसी परियोजनाओं के निर्माण हेतु अधिकाधिक पूजी निवेश कराये जाने, पर्यावरणीय सन्तुलन बनाए रखने तथा राज्य मे रोजगार के अवसरो को सृजित किए जाने तथा ऐसी परियोजनाओ की स्थापना करने, जो नवीनतम/उच्चतम तकनीक (पर्यावरण के अनुकूल एव उच्च दक्षता के उपकरण) का उपयोग करती हो, के प्रयोजन से उत्तराखण्ड राज्य में गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित नीति बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन नीति, 2011

1–संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ–

(1) इस नीति का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन नीति, 2011 है।

(2) यह नीति समस्त उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त होगी।

(3) यह नीति राजकीय गजट में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगी।

2–परिभाषाएं–

जब तक इस नीति में अन्य कोई बात अपेक्षित न हो :–

(क) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है,

(ख) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ग) "व्यक्ति" के अन्तर्गत कोई कम्पनी या संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नही, सम्मिलित है,

(घ) "पट्टाकर्ता" से अन्तरक पट्टाकर्ता अभिप्रेत है,

(ङ) "पट्टेदार" से अन्तरिती पट्टेदार अभिप्रेत है;

(च) "भाटक" से देय या करणीय धन, अंश, सेवा या अन्य वस्तु अभिप्रेत है;

(छ) "समिति" से प्रस्तर 10 में गठित समिति अभिप्रेत है;

(ज) शब्द और पद, जो परिभाषित नहीं हैं परन्तु साधारण खण्ड अधिनियम, 1901 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) मे परिभाषित हैं, के वही अर्थ होगे, जो उनके लिए अधिनियम मे दिए गए हैं।

3–विकासकर्ताओं को सहयोग/सुविधाएं एवं प्रोत्साहन–

राज्य सरकार परियोजना के विकासकर्ता को निम्नवत् सहयोग/सुविधायें एवं प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी :–

(क) परियोजना द्वारा उत्पादित विद्युत का राजकीय उपक्रम द्वारा सशर्त/आवश्यकतानुसार क्रय किया जाना,

(ख) ईंधन (गैस) संयोजन की प्राप्ति/व्यवस्था में सहयोग करना,

(ग) परियोजना हेतु उपयुक्त भूमि का चिन्हीकरण एवं भू–अर्जन मे सहयोग करना,

(घ) राज्य सरकार से सम्बन्धित स्वीकृतियाँ एव सहमतियाँ Single Window के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना,

(ङ) परियोजना के सम्बन्धित अवस्थापना व्यवस्थाओं यथा सडक आदि का सृजन/उच्चीकरण मे सहयोग,

(च) पारेषण अधिकार (Right of Way) की व्यवस्था करना;

(छ) जलापूर्ति की व्यवस्था में सहयोग करना;

(ज) भारत सरकार द्वारा निर्गत किसी नीति अथवा भविष्य में निर्गत होने वाली नीति से लाभ के लिए विकासकर्ता को राज्य सरकार की ओर से संस्तुति की व्यवस्था (यदि विकासकर्ता अन्य अर्हतायें पूर्ण करता है) करना।

4—नीति से आच्छादित/लक्षित/अर्ह परियोजनाओं की शर्तें—

इस नीति के प्रारम्भ होने की तारीख से आच्छादित, लक्षित एवं अर्हित परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित शर्तें होंगी :—

(1) ऐसे विकासकर्ता/परियोजनायें, जो एक स्थान पर न्यूनतम 200 मेगावाट एवं अधिकतम 500 मेगावाट उत्पादन करना चाहें, उनमें अन्य बातें समान होने पर अधिक क्षमता की योजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी तथा ऐसी विकासकर्ता कम्पनियां/फर्में, जिनमें एक या एक से अधिक निदेशक/प्रोमोटर उभयनिष्ट (Common) हों (अर्थात् एक या एक से अधिक निदेशक/प्रोमोटर एक या एक से अधिक आवेदक कम्पनियों में हों), तो केवल एक ही कम्पनी आवेदन के अर्ह होगी। उल्लघन की दशा में ऐसी विकासकर्ता कम्पनियों/फर्मों की अर्हता निरस्त हो जायेगी।

(2) ऐसे कैपटिव पावर प्लान्ट, जो 50 मे0वा0 से अधिक क्षमता गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन करना चाहें।

5—नीति विकासकर्ताओं को गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन हेतु प्रोत्साहन दिये जाने के लिए विकल्प—

निजी विकासकर्ताओं को गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन हेतु प्रोत्साहन दिये जाने के लिए निम्नलिखित विकल्प होंगे:—

<u>विकल्प—01</u>—

ऐसे विकासकर्ता, जिन्होंने सरकार से किसी प्रकार का सहयोग प्राप्त किये बिना पूर्ण रूप से अपने ही संसाधनों से उत्पादन संयंत्र स्थापित कर लिया है अथवा करना चाहती हैं, परियोजना द्वारा उत्पादित कुल विद्युत का न्यूनतम 10 प्रतिशत अंक सरकार द्वारा नामित एजेन्सी (यूपीसीएल) को वेरिऐबिल लागत Variable Cost जो यथोचित नियामक आयोग अर्थात् उत्तराखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग अथवा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित/स्वीकृत की जायेगी, पर विक्रय प्रस्ताव देने के लिए बाध्य होंगे अर्थात् सरकार द्वारा नामित एजेन्सी को इस अंश पर क्रय/इंकार करने का प्रथम अधिकार होगा।

राज्य सरकार की नामित एजेन्सी (यूपीसीएल) द्वारा उक्त विकल्प में प्रस्तावित 10 प्रतिशत के अतिरिक्त, परियोजना से उत्पादित शेष विद्युत उतनी मात्रा में, जितनी एजेन्सी को आवश्यकता हो, सम्बन्धित विकासकर्ता के साथ आपसी सहमति से यथोचित नियामक आयोग द्वारा निर्धारित/स्वीकृत दरों पर क्रय कर सकेगी।

इस विकल्प के विकासकर्ताओं को राज्य सरकार की ओर से उन्हें राज्य सरकार की किसी अन्य नीति के अन्तर्गत अनुमन्य सुविधाओं (जिनके लिए विकासकर्ता अर्ह हो) के अतिरिक्त कोई विशेष सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। सरकार द्वारा प्रोत्साहन एवं सहयोग के रूप में विभिन्न प्रकार की आवश्यक अनुमतिया/क्लीयरेंसेज शीघ्रता एवं प्राथमिकता पर Single Window के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेंगी। ऐसे विकासकर्ताओं से विद्युत अधिप्राप्ति की व्यवस्था नामित एजेन्सी तत्समय निर्धारित/प्रचलित/लागू प्रक्रियाओं/नियमों/नीतियो के अनुसार करेगी।

<u>विकल्प—02</u>—

परियोजना निर्माण एव सचालन का समस्त कार्य/व्यवस्था विकासकर्ता द्वारा स्वय अपने ससाधनों से की जानी होगी। सरकार द्वारा प्रोत्साहन एव सहयोग के रूप में विभिन्न प्रकार की आवश्यक अनुमतियाँ/क्लीयरेंसेज शीघ्रता एवं प्राथमिकता पर Single Window के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेंगी। परियोजना के लिये ईंधन उपलब्ध कराने हेतु सरकार अनुशंसा करेगी।

इस विकल्प के विकासकर्ता परियोजना द्वारा उत्पादित कुल विद्युत का न्यूनतम 20 प्रतिशत अंश सरकार द्वारा नामित एजेन्सी (यूपीसीएल) को वेरिऐबिल लागत (Variable Cost) जो यथोचित नियामक आयोग द्वारा निर्धारित/स्वीकृत की जायेगी, पर विक्रय प्रस्ताव देने के लिए बाध्य होंगे अर्थात् सरकार द्वारा नामित एजेन्सी को इस अंश पर क्रय/इंकार करने का प्रथम अधिकार होगा।

राज्य सरकार की नामित एजेन्सी (यूपीसीएल) द्वारा इस विकल्प मे उपरोक्त 20 प्रतिशत (अथवा 20 से अधिक प्रतिस्पर्धात्मक निविदा में प्राप्त अधिकतम प्रतिशत वेरिएबिल मूल्य पर) देने के पश्चात् परियोजना से उत्पादित शेष विद्युत उतनी मात्रा में, जितनी एजेन्सी को आवश्यक हो, सम्बन्धित विकासकर्ता के साथ आपसी सहमति से यथोचित नियामक आयोग द्वारा निर्धारित/स्वीकृत दरों पर क्रय की जा सकेगी।

ऐसे विकासकर्ताओं से विद्युत अधिप्राप्ति की व्यवस्था नामित एजेन्सी तत्समय निर्धारित/प्रचलित/लागू प्रक्रियाओं/नियमों/नीतियों के अनुसार करेगी।

व्यवस्थायें	सरकार का सहयोग	विकासकर्ता के दायित्व
भूमि अर्जन		√
विद्युत निकासी/पारेषण		√
ईंधन	√(अनुशंसा)	√
जलापूर्ति		√
पहुँच मार्ग		√
स्वीकृतियां/क्लीयरेंसेज	√	√
डी0पी0आर0 निर्माण		√

विकल्प–03–

इस विकल्प में सरकार की ओर से सहयोग/प्रोत्साहन के रूप में ईंधन की उपलब्धता की अनुशंसा के साथ साथ भूमि अर्जन, विद्युत निकासी/पारेषण, जलापूर्ति, पहुँच मार्ग, स्वीकृतियां/क्लियरेंस आदि मे सहयोग करेगी। इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय का वहन विकासकर्ता द्वारा स्वय किया जायेगा।

इस विकल्प में विकासकर्ता द्वारा उत्पादित ऊर्जा के 20 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत अंश (अर्थात् उत्पादन के कुल 70 प्रतिशत अंश) पर निम्नानुसार बाध्यता होगी :–

'परियोजना द्वारा उत्पादित कुल विद्युत का न्यूनतम 20 प्रतिशत अश सरकार द्वारा नामित एजेन्सी (यूपीसीएल) को वेरिऐबिल लागत (जो यथोचित नियामक आयोग द्वारा निर्धारित/स्वीकृत की जायेगी) पर विक्रय प्रस्ताव देने के लिए बाध्य होंगी अर्थात् सरकार द्वारा नामित एजेन्सी को इस अंश पर क्रय/इकार करने का प्रथम अधिकार होगा'।

उपरोक्त 20 प्रतिशत के अतिरिक्त कुल विद्युत उत्पादन के 50 प्रतिशत अश के लिए विकासकर्ताओ के मध्य प्रतिस्पर्द्धात्मक निविदाये आमंत्रित की जायेंगी। यह निविदाये ऊर्जा मत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित टैरिफ आधारित निविदा Case 2 प्रणाली से की जायेगी। प्रतिस्पर्द्धात्मक निविदा का बिड वेरिऐबिल (निविदा बोली) ऊर्जा का विक्रय मूल्य होगा। यथोचित नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर के सापेक्ष न्यूनतम दर के बोलीदाता को चयन में वरियता दी जायेगी।

व्यवस्थायें	सरकार का सहयोग	विकासकर्ता के दायित्व
भूमि अर्जन	√	√
विद्युत निकासी/पारेषण	√	√
ईंधन	√	√
जलापूर्ति	√	√
पहुँच मार्ग	√	√
स्वीकृतियां/क्लीयरेंसेज	√	√
डी0पी0आर0 निर्माण	–	√

विकल्प–04–

इस विकल्प के विकासकर्ता के साथ सरकार परियोजना में हिस्सेदारी करेगी। राज्य सरकार द्वारा इस विकल्प में केवल भारत सरकार तथा राज्य सरकार/सरकारों के नियत्रणाधीन उपक्रमों के साथ परियोजना स्थापित की जायेगी। सरकार की हिस्सेदारी उसी अनुपात में होगी, जिस अनुपात मे सरकार द्वारा परियोजना लागत में योगदान दिया जायेगा। ऐसी सभी व्यवस्थायें, जो सरकार परियोजना निर्माण के लिए अपनी ओर से उपलब्ध करायेगी, का मूल्याकन कर उसे अंश पूँजी में परिवर्तित कर दिया जायेगा। परियोजना से उत्पादित विद्युत का 80 प्रतिशत यथोचित नियामक आयोग द्वारा निर्धारित/स्वीकृत दरों पर क्रय/इकार करने का प्रथम अधिकार राज्य सरकार की नामित संस्था (यू0पी0सी0एल0) का होगा।

6–परियोजना हेतु विकासकर्ता के चयन की प्रक्रिया–

परियोजना हेतु विकासकर्ता के चयन की निम्नलिखित प्रक्रिया होगी :–

(क) विकल्प–01 में विकासकर्ता के चयन की आवश्यकता नहीं है।

(ख) विकल्प–02 में एक से अधिक विकासकर्ताओं द्वारा आवेदन किये जाने की दशा में इस विकल्प में (पैरा–1.2) निर्धारित वेरिएबल मूल्य पर दी जाने वाली न्यूनतम 20 प्रतिशत विद्युत के अतिरिक्त (ओवर एवं अबव 20 प्रतिशत) निविदा में अधिकतम प्रतिशत अश पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के आधार पर, जो विकासकर्ता अधिकतम विद्युत की आपूर्ति वेरिएबल मूल्य पर राज्य सरकार की नामित संस्था (यू0पी0सी0एल0) को करने का प्रस्ताव देगा, उस आवेदक का चयन किया जायेगा।

(ग) विकल्प–03 में प्रतिस्पर्धात्मक पारदर्शी निविदा पद्धति के आधार पर परियोजना से उत्पादित विद्युत को वेरिएबल मूल्य (Variable Cost) पर 20 प्रतिशत विद्युत राज्य सरकार की नामित संस्था (यू0पी0सी0एल0) को उपलब्ध कराना सभी विकासकर्ता के लिए अनिवार्य होगा।
उपरोक्त 20 प्रतिशत के अतिरिक्त (ओवर एव अबव) कुल विद्युत उत्पादन का 50 प्रतिशत अश ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित टैरिफ आधारित निविदा Case 2 प्रणाली से की जायेगी। जो इच्छित विकासकर्ता प्रतिस्पर्द्धात्मक निविदा में यथोचित नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर के सापेक्ष अधिकतम प्रतिशत छूट की निविदा का प्रस्ताव राज्य सरकार की नामित संस्था (यू0पी0सी0एल0) को देगा, उस आवेदक का चयन किया जायेगा।

इस विकल्प में परियोजना निर्माण का स्थल, परियोजना की क्षमता एवं वर्णित स्थल के दृष्टिगत अन्य आवश्यक सूचनायें एवं विवरण प्रतिस्पर्द्धात्मक निविदा आमत्रण के समय इगित की जायेंगी।

(घ) विकल्प-04 के सापेक्ष केवल भारत सरकार/राज्य सरकार के अधीन कार्यरत उपक्रमों के साथ परियोजना स्थापित की जायेगी। सस्था का चयन शासन द्वारा गठित एम्पावर्ड कमेटी (सक्षम समिति) की संस्तुति के आधार पर किया जायेगा।

7–औद्योगिक नीति के अन्तर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन–

नीति के अन्तर्गत सम्बन्धित विकासकर्ताओं को राज्य में प्रख्यापित औद्योगिक नीति के अन्तर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन उनकी अर्हतानुसार अनुमन्य होगी।

8–राज्य सरकार को प्रथम विद्युत क्रय करने अथवा इंकार करने का अधिकार–

राज्य सरकार की विद्युत वितरण संस्था (यू0पी0सी0एल0) को प्रस्तर (5) में उपलब्ध विकल्पों में से इगित विद्युत क्रय करने अथवा इकार करने का प्रथम अधिकार होगा। यू0पी0सी0एल द्वारा उपरोक्त विकासकर्ताओ से विद्युत क्रय के सम्बन्ध में उन सभी आवश्यक प्रतिबन्धों/नियमों/समावधियों का अनुपालन किया जायेगा, जो तत्समय प्रचलित होंगी।

9–परियोजना स्थापना हेतु आवेदक के चयन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण एव सिगल विन्डो क्लीयरेन्सज/स्वीकृति प्रक्रिया–

(1) परियोजना स्थापित करने हेतु आवेदक का चयन एव क्रियान्वयन के अनुश्रवण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रस्तर (10) के अनुसार एक सक्षम समिति (एम्पावर्ड कमेटी) होगी, जिसके सदस्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा होंगे।

(2) विकल्प–2 में चयनित विकासकर्ता द्वारा एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर के उपरान्त 02 माह में परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) राज्य सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी। इस डी0पी0आर0 में विद्युत उत्पादन तकनीकी, ईंधन, पानी एवं भूमि उपयोग, पर्यावरणीय सन्तुलन सम्बन्धी तकनीक आदि का विवरण समाहित होगा। इस विकल्प के अन्तर्गत प्रस्ताव करने वाले विकासकर्ता के साथ अनुबन्ध का विस्तृत विवरण निविदा प्रपत्र (Bid Document) में दिया जायेगा।

(3) विकल्प–3 में भाग लेने वाले विकासकर्ता का चयन न्यूनतम निविदादाता, भारत सरकार द्वारा निर्धारित टैरिफ आधारित निविदा Case 2 प्रणाली पर किया जायेगा, शर्त यह है कि निविदादाता राज्य सरकार द्वारा निर्गत आर0एफ0पी0/आर0एफ0क्यू0 तथा निविदा प्रपत्र में प्राविधानित सभी अर्हता विषयक शर्तों को पूरा करता हो। इस विकल्प में परियोजना निर्माण का स्थल, परियोजना की क्षमता एव वर्णित स्थल के दृष्टिगत अन्य आवश्यक सूचनाये एवं विवरण विनिदा आमत्रण के समय इगित की जायेगी।

(4) विकल्प–2 एवं 3 के लिए वित्तीय एवं तकनीकी अर्हता, निविदा मूल्याकन हेतु दिशा–निर्देश/मानक सक्षम समित के अनुमोदनोपरान्त राज्य सरकार द्वारा पृथक रूप में निविदा प्रपत्र (Bid Document) में निर्गत किये जायेंगे।

(5) सम्बन्धित विकासकर्ता द्वारा राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित संस्था (यू0पी0सी0एल0) के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया जायेगा।

एम0ओ0यू0 में अन्य के साथ मुख्यतः Event of Default, परियोजना के क्रियान्वयन का समयबद्ध कार्यक्रम का उल्लेख होगा तथा परियोजना की क्षमता के अनुसार निर्धारित परफोर्मेन्स गारन्टी विकासकर्ता द्वारा राज्य सरकार अथवा उसकी नामित संस्था (यू0पी0सी0एल0) को देनी होगी। इस सम्बन्धी विस्तृत विवरण निविदा प्रपत्र (Bid Docuement) में निर्गत किया जायेगा।

(6) एम0ओ0यू0 में निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत यदि सम्बन्धित विकासकर्ता द्वारा वित्तीय प्रबन्धन नही किया जाता है तो ऐसी दशा में एम0ओ0यू0 निरस्त करते हुए इस परियोजना हेतु इस नीति के अन्तर्गत प्राप्त हो रहे समस्त लाभों को समाप्त कर दिया जायेगा।

(7) राज्य सरकार एकल खिडकी व्यवस्था के माध्यम से चयनित विकासकर्ताओं को उपलब्धता की स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार भूमि उपलब्ध करायेगी तथा परियोजना स्थापना हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी।

(8) इस नीति के अन्तर्गत विकासकर्ता द्वारा राज्य सरकार अथवा उसके द्वारा नामित संस्था (यू0पी0सी0एल0) के साथ अनुबन्ध का उल्लंघन करने पर एम0ओ0यू0/अनुबन्ध पत्र में निर्धारित शर्तों के अधीन विकासकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(9) इस नीति के अन्तर्गत प्रस्तावों के आमंत्रण, प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण, मूल्याकन एवं उपयुक्त विकासकर्ता आवेदन के चयन हेतु उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 नोडल एजेन्सी होगी। इस प्रयोजन हेतु ऊर्जा विभाग में गठित ऊर्जा सैल यू0पी0सी0एल0 को तकनीकी सहयोग/विशेषज्ञता उपलब्ध करायेगा, जिसके लिए ऊर्जा विभाग के निगमो में अथवा वाह्य स्रोतो से आवश्यकतानुसार अधिकारियों/विशेषज्ञों की सेवा ली जायेगी।

(10) इस नीति के अन्तर्गत प्रस्तावों के आमत्रण, प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण, मूल्यांकन एवं उपयुक्त विकासकर्ता आदि के चयन आदि कार्यों की प्रोसेसिंग में होने वाले व्यय का भुगतान यू0पी0सी0एल0 द्वारा आवेदनकर्ताओं से प्राप्त शुल्क से वहन किया जायेगा।

(11) नीति के अन्तर्गत यदि कोई विषय/प्रकरण आच्छादित नहीं होता है तो उस परिस्थिति में विद्युत अधिनियम, 2003 (केन्द्रीय अधिनियम सख्या 36, वर्ष 2003) तथा समय–समय पर किये गये संशोधन के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

10–परियोजना के आवंटन, क्रियान्वयन एवं सिंगल विन्डो क्लीयरेन्सेज/स्वीकृति हेतु सक्षम समिति–

परियोजनाओं के आवंटन, क्रियान्वयन एवं सिंगल विन्डो क्लीयरेन्सेज/स्वीकृति हेतु निम्नवत् एक सक्षम समिति होगी :–

1.	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	–	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव एवं आई0डी0सी0, उत्तराखण्ड	–	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड	–	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, उद्योग, उत्तराखण्ड	–	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड	–	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड	–	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा, उत्तराखण्ड	–	सदस्य–सचिव
8.	प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम	–	सदस्य
9.	प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0सी0एल0	–	सदस्य
10.	प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल	–	सदस्य
11.	प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल	–	सदस्य
12.	मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड	–	सदस्य

आज्ञा से,

डा0 उमाकान्त पंवार,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 10 हिन्दी गजट/103–भाग 1–2011 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू०ए० / डी०ओ० / डी०डी०एन० / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 05 मार्च, 2011 ई० (फाल्गुन 14, 1932 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

January 11, 2011

No. 05/XIV/38/Admin.A/2008--Ms. Anita Gunjiyal, Civil Judge (Jr. Div.) Karanprayag, Distt. Chamoli, is hereby sanctioned Earned Leave for 16 days *w.e.f.* 03.12.2010 to 18.12.2010 with permission to suffix 19.12.2010 as Sunday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-
Illegible,
I/C Registrar (Inspection).

OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE, CHAMPAWAT

HANDING OVER CHARGE

February 08, 2011

No. 167/I-16-09--Certified that the charge of the Office of the Civil Judge (S.D.), Champawat was handed over in anticipation of the sanction by the Hon'ble High Court of Medical Leave *w.e.f.* 10-01-11 to 31-01-11 herein denoted in the forenoon of 10-01-11.

Relieved Officer–

NEETU JOSHI,
Civil Judge (S.D.),
Champawat.

Relieving Officer-

Illegible,
Countersigned,
District Judge, Champawat.

CERTIFICATE OF TAKING OVER CHARGE

February 08, 2011

No. 168/I-16-09--Certified that the charge of the Office of the Civil Judge (S.D.), Champawat was taken over in anticipation of the sanction by the Hon'ble High Court of medical Leave *w.e.f.* 10-01-11 to 31-01-11 herein denoted in the forenoon of 01-02-11.

NEETU JOSHI,
Civil Judge (S.D.),
Champawat.

Illegible,
Countersigned,
District Judge, Champawat.

OVER CHARGE

January 03, 2011

No. 08/I-16-09--Certified that the charge of the Office of the Civil Judge (S.D.), Champawat was handed over in anticipation of the sanction by the Hon'ble High Court of medical leave *w.e.f.* 21-12-10 herein denoted after 4.00 P.M on 20-12-10.

Relieved Officer--

NEETU JOSHI,
Civil Judge (S.D.),
Champawat.

Relieving Officer-

Illegible,
Countersigned,
District Judge, Champawat.

CERTIFICATE OF TAKING OVER CHARGE

January 03, 2011

No. 08/I-16-09--Certified that the charge of the Office of the Civil Judge (S.D.), Champawat was taken over in anticipation of the sanction by the Hon'ble High Court of Medical Leave *w.e.f.* 21-12-10 herein denoted in the forenoon of 22-12-10.

NEETU JOSHI,
Civil Judge (S.D.),
Champawat.

Illegible,
Countersigned,
District Judge, Champawat.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

CHARGE CERTIFICATE
(Handing over charge)

January 05, 2011

No. 68/UHC/Admin. A/2010--Certified that the office of Additional Registrar, High Court of Uttarakhand, Nainital is transferred (on proceeding on earned leave for 10 days *w.e.f.* 20-12-2010 to 29-12-2010 with permission to prefix 17-12-2010 as Moharram holiday and 18-12-2010 & 19-12-2010 as Saturday and Sunday holidays), as herein denoted in the afternoon of 16-12-2010.

Relieved Officer-

DHANANJAY CHATURVEDI.

Illegible,
Countersigned,
Registrar General,
High Court of Uttarakhand,
Nainital.

CHARGE CERTIFICATE
(Taking over charge)

January 05, 2011

No. 69/UHC/Admin. A/2010--Certified that the office of Additional Registrar, High Court of Uttarakhand, Nainital is transferred (on return from Earned Leave for 10 days *w.e.f.* 20-12-2010 to 29-12-2010 with permission to prefix 17-12-2010 as Moharram holiday and 18-12-2010 & 19-12-2010 as Saturday and Sunday holidays), as herein denoted in the forenoon of 30-12-2010.

Relieving Officer- DHANANJAY CHATURVEDI.

Illegible,
Countersigned,
Registrar General,
High Court of Uttarakhand,
Nainital.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 10 हिन्दी गजट/103–भाग 1–क–2011 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।